



कयर बोर्ड

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार

उनहत्तरवीं वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23

कयर हाउस

एम.जी. रोड, कोच्चि - 682016, केरल
(आईएसओ 9001-2008 प्रमाणित संगठन)

www.coirboard.gov.in



विषय - वस्तु

अध्याय	पृष्ठ संख्या
विज्ञान और मिशन	5
नागरिक/ग्राहक चार्टर	6
प्रस्तावना	9
I भूमिका	11
II वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा	23
III कयर उद्योग-वर्तमान स्थिति	26
IV आर्थिक अनुसंधान व सांख्यिकी	31
V निर्यात बाज़ार संवर्धन	32
VI स्वदेशी बाज़ार संवर्धन	45
VII विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	54
VIII विपणन और प्रचार	76
IX हिंदुस्तान कयर	78
X औद्योगिक विकास	79
XI पूर्वोत्तर क्षेत्र में कयर उद्योग का विकास	83
XII प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	84
XIII स्वच्छ भारत अभियान	86
XIV परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (स्फूर्ति)	88
XV विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम , 2016	92
XVI महिला सशक्तिकरण	93
XVII शिकायत निवारण तंत्र	94
XVIII सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005	95

परिशिष्ट	पृष्ठ संख्या
I कयर बोर्ड की संस्थाएँ	96
II वर्ष 2022-23 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना (आईसी) के तहत स्वीकृत/वितरित बाहरी बाजार विकास सहायता(ईएमडीए)	101
III वर्ष 2022-23 के दौरान कयर व कयर उत्पादों का देश-वार निर्यात	107
IV वर्ष 2022-23 के दौरान स्वदेशी प्रदर्शनियों में भागीदारी राज्यवार	125
V शोरूम बिक्री का तुलनात्मक विवरण (अप्रैल से मार्च), और वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां	126
VI कौशल उन्नयन कार्यक्रम और महिला कयर योजना (वर्ष 2022-23 के दौरान राज्यवार भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां)	127
VII स्फूर्ति दूसरे चरण (31.03.2023 तक) के तहत अनुमोदित 40 कयर क्लस्टरों की भौतिक और वित्तीय प्रगति	129
VIII वर्ष 2022-2023 के दौरान लेखाओं से संबंधित विवरण	135
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कयर बोर्ड के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	180

कयर बोर्ड

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय)

हमारा विज़न और मिशन

“कयर क्षेत्र के व्यवस्थित एवं मजबूत वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करना और इसके ज़रिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए कयर क्षेत्र की भूमिका को जारी रखना और सुदृढ़ बनाना।”

“मौजूदा उद्यमों को सहायता प्रदान करना और नए उद्यमों के सृजन को प्रोत्साहित करना, साथ ही सभी पणधारियों के समर्थन से रोजगार और आय का सृजन से कयर उद्योग की वृद्धि और विकास को संवर्धित करना।”

प्रकृति को बचाओ... कयर का उपयोग करो।



नागरिक/ग्राहक चार्टर

हम अपने आपको, देश भर में
जहाँ कार्यक्षमता विद्यमान है, वहाँ कयर उद्योग के
विकास एवं आधुनिकरण के लिए कार्यरत सभी लोगों को
विशेषकर, कयर कामगारों के कल्याण हेतु
पुनः समर्पित करते हैं।



मोटर वाहन से कृषि उत्पाद तक
हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक
उपग्रहों से पनडुब्बी तक
दूरदर्शन से दूर संचार तक
औषधीय से जैवप्रविधि तक
कागज से बिजली संयंत्र तक
मार्ग से सेतु तक
भवन से स्मार्ट सिटी तक
सौहार्द से भागीदारी तक
लाभ से प्रगति तक
जो भी बनाना चाहते हैं
मेक इन इंडिया



प्रस्तावना



कयर बोर्ड की उनहत्तरवीं वार्षिक रिपोर्ट, जिसकी अवधि हमारे महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से जुड़ी है, प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है।

भारतीय कयर उद्योग ने प्रौद्योगिकी स्तर पर आने वाली चुनौतियों और कृत्रिम तथा अन्य सस्ते उत्पादों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा पर सफलतापूर्वक काबू पाकर अपनी ताकत साबित की है, जबकि कई अन्य पारंपरिक उद्योग समय की स्पर्धाओं को जीत नहीं सकें, सदियों पुराने इस उद्योग का विकास क्षेत्र सुस्थिर देखा गया है।

वर्ष 2022-23 उद्योग तथा कयर बोर्ड के लिए सौभाग्य का वर्ष था। निर्यात बाजार क्षेत्र में, भारतीय कयर उद्योग को कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में हुई आर्थिक मंदी, रूस-युक्रेन युद्ध, चीन और यूरोप में आर्थिक स्थितियों आदि से उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए निर्यात की मात्रा और मूल्य क्रमशः 1264784 मेट्रिक टन और 3992.17 करोड़ रुपए थे। निर्यात की मात्रा में पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 2.4% की वृद्धि दर्ज की गयी। निर्यात पर कोविड-19 उपरांत के परिवेश का काफी प्रभाव पड़ा।

विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कार्य-तंत्र पूरे जोश पर हैं और स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमें विश्वास है कि कयर बोर्ड और भारतीय कयर उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था, जो इसके अमृतकाल से गुजर रही है, का अभिन्न अंग बने रहेंगे।

सभी को मंगलकामनाएं और चिरस्थायी समृद्धि की शुभकामनाएं।



डी. कुप्पुरामु
अध्यक्ष



अध्याय - I

भूमिका

भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम जैसे कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) के अधीन भारत में कयर उद्योग के विकास और कयर व कयर उत्पादों के स्वदेशी एवं विदेशी बाज़ार के संवर्धन के लिए कयर बोर्ड स्थापित किया गया। यह कयर बोर्ड की 69 वीं वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि में बोर्ड के विभिन्न कार्यकलापों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।

कयर बोर्ड के कार्य

कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 10 के तहत निर्धारित कयर बोर्ड के मुख्य कार्य नीचे दिए गए हैं:

1. केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन कयर उद्योग के विकास को यथोचित कार्यवाहियाँ निम्नलिखित से संबन्धित हैं:-
 2. उपधारा (1) के प्रावधानों की सामान्यता पर पूर्वाग्रह किए बिना उसमें बताई गई कार्यवाहियाँ द्वारा बढ़ावा देना बोर्ड का दायित्व होगा ।
- (क) धागों एवं कयर उत्पादों का निर्यात करना तथा इस प्रयोजन के लिए प्रचार कार्य करना ;
- (ख) केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण के अधीन कयर उत्पादों के उत्पादनों हेतु कयर तकलों और करघों का पंजीकरण करके तथा कयर, कयर धागों और कयर उत्पादों के निर्यातकों को लाइसेंस देकर छिलके, कयर धागों और कयर उत्पादों के उत्पादन का विनियमन करना तथा साथ ही ऐसे अन्य कार्य करना जो निर्धारित किए जा सकते हैं ।

- (ग) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान का कार्य करना, उसके लिए सहायता या प्रेरणा देना और एक या एक से अधिक अनुसंधान संस्थाओं का अनुरक्षण करना तथा उसके अनुरक्षण में सहायता देना।
- (घ) कयर उद्योग से संबन्धित किसी भी विषय पर कयर उत्पादों के उत्पादनों और व्यापारियों तथा निर्धारित किए गए अन्य व्यक्तियों से आँकड़े एकत्रित करना, एकत्रित आँकड़ों या उसके अंशों या निष्कर्षों का प्रकाशन करना।
- (ङ) कयर रेशे, कयर धागे एवं कयर उत्पादों के निरीक्षणार्थ आवश्यकता होने पर उसके ग्रेड मानक निर्धारित करना तथा उन्हें व्यवस्थित करना।
- (च) भारत तथा अन्य देशों में नारियल के छिलकों, कयर रेशों, कयर धागों और कयर उत्पादों के विपणन में सुधार करना और अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना।
- (छ) कयर उत्पादों के उत्पादकों के लिए ऊर्जा के सहारे कारखाने स्थापित करना या स्थापित करने में मदद करना।
- (ज) छिलकों, कयर रेशों और कयर धागों के उत्पादकों तथा कयर उत्पादों के निर्माताओं के बीच सहकारी संगठनों को बढ़ावा देना।
- (झ) छिलकों, कयर रेशों और कयर धागों के उत्पादकों तथा कयर उत्पादों के निर्माताओं को लाभकारी आय सुनिश्चित करना।
- (ञ) गलाने के स्थानों और गोदामों का लाइसेंसिकरण करना तथा अन्य प्रकार के देशी बाज़ार और निर्यात के लिए कयर रेशों, कयर धागों और कयर उत्पादों के भंडारण और बिक्री का विनियमन करना।

- (ट) कयर उद्योग के विकास से संबंधी सभी मामलों पर सलाह देना।
- (ठ) इस प्रकार के अन्य कार्य जिन्हें निर्धारित किए जाएँ।
3. बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा गठित ऐसे नियमों के अनुसार और उनके अधीन इस धारा के अंतर्गत अपने कार्यों का निष्पादन करेगा।

बोर्ड का गठन

कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा (4) केंद्र सरकार को कयर बोर्ड गठित करने का अधिकार देती है। कयर उद्योग नियमावली, 1954 के उपनियम 4 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक वर्ग से बोर्ड के सदस्य के रूप में जितने लोगों को नियुक्त किया जाना है उनकी संख्या बताई गई है, जो इस प्रकार है:

- (क) नारियल उगाने वाले और छिलकों तथा कयर धागों के उत्पादक-3
- (ख) छिलकों, कयर एवं कयर धागों के उत्पादन में और कयर उत्पादों के निर्माण में लगे हुए लोग -3
- (ग) कयर उत्पादों के निर्माता -3
- (घ) निर्यातकों और देशी व्यापारियों सहित कयर, कयर

धागों और कयर उत्पादों का बिक्रेता-3

- (ड.) संसद- 3 (2 सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाएंगे और एक राज्य सभा द्वारा चुना जाएगा)
- (च) नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों की सरकारें -5
- (छ) केंद्र सरकार के मतानुसार जिनका प्रतिनिधित्व अपेक्षित है ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग - 19

बोर्ड के कार्मिक

अध्यक्ष

श्री कुप्पुरामु दुरईपांडी को भारत सरकार द्वारा कयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में दिनांक 14.07.2021 के प्रभावी ढंग से नियुक्त किया गया, और रिपोर्टधीन अवधि तक जारी है।

सचिव

श्री एम. कुमार राजा कयर बोर्ड के सचिव के रूप में दिनांक 26.09.2022 तक जारी रहे। इसके बाद श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला, आंचलिक निदेशक ग्रेड-1 को सचिव, कयर बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और रिपोर्टधीन अवधि तक जारी है।

दिनांक 31.03.2023 तक कयर बोर्ड में कर्मचारियों की स्थिति (हिंदुस्तान कयर को छोड़कर)।

वर्ग	कुल	महिलाएँ	अन्य पिछड़े वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
वर्ग क	14	5	1	3	3	1	0
वर्ग ख	80	27	33	7	7	1	3
वर्ग ग	138	23	64	29	9	3	0
कुल	232	55	98	39	19	5	3

दिनांक 31.03.2023 तक हिंदुस्तान कयर में कर्मचारियों की स्थिति

वर्ग	कुल	महिलाएँ	अन्य पिछड़े वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	दिव्यांग	भूतपूर्व सैनिक
वर्ग क	-	-	-	-	-	-	-
वर्ग ख	-	-	-	-	-	-	-
वर्ग ग	4	-	2	2	-	-	-
कुल	4	-	2	2	-	-	-

बोर्ड की संस्थाएँ

कयर बोर्ड का मुख्यालय और भारत के विभिन्न भागों में

बोर्ड की 47 संस्थाएँ कार्यरत हैं।

कयर बोर्ड की संस्थाओं की सूची परिशिष्ट-1 में दी जाती है।

सतर्कता गतिविधियाँ

कयर बोर्ड सतर्कता अनुभाग का नेतृत्व वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य सतर्कता अधिकारी (अंशकालिक) के रूप में डॉ. संघमित्रा, आईआरपीएस करेंगी। मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता के लिए एक उप निदेशक (अंशकालिक), एक अनुभाग अधिकारी (अंशकालिक) और एक उच्च श्रेणी लिपिक सतर्कता अनुभाग से जुड़े हुए हैं।

कयर बोर्ड में सतर्कता अनुभाग संगठनात्मक संरचना का एक अभिन्न अंग है। कयर बोर्ड में सतर्कता अनुभाग मुख्य रूप से निवारक सतर्कता पर ध्यान केंद्रित करता है और इसका लक्ष्य इसे सीवीसी के उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाना है। सतर्कता यह सुनिश्चित करती है कि प्रचलित दिशानिर्देशों और निर्देशों का सभी स्तरों पर अनुपालन किया जाए। इस लक्ष्य के लिए, विजिलेंस का लक्ष्य अपने प्रत्येक कर्मचारी को जवाबदेही और पारदर्शिता की अवधारणा के प्रति संवेदनशील बनाना और उन्हें नियमों और विनियमों से अवगत कराना है, ताकि उनका आचरण कयर बोर्ड के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के साथ पूरी

तरह से मेल खा सके।

सतर्कता अनुभाग के कार्य में आम तौर पर उपयुक्त निवारक सतर्कता उपायों को विकसित करना और कार्यान्वित करना, कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता मंजूरी की प्रक्रिया करना, सतर्कता शिकायतों की जांच करना, संवेदनशील पदों की पहचान और उनके रोटेशन के लिए प्रशासन अनुभाग को सलाह देना, सहमत सूची/ओडीआई तैयार करना, सी.बी.आई./सी.वी.सी. के साथ परामर्श आदि शामिल है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 31 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक देश भर में स्थित कयर बोर्ड के सभी प्रतिष्ठानों में मनाया गया।

कयर बोर्ड में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का उद्घाटन कयर बोर्ड के अध्यक्ष श्री डी. कुप्पुरामु ने दिनांक 31.10.2022 को कयर बोर्ड, मुख्यालय के कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा शपथ दिलाकर किया। बोर्ड के सभी उप-कार्यालयों एवं शोरूमों में संबंधित कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाई गई। विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ हितधारकों आदि को भी व्यापक भागीदारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों और

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

कयर बोर्ड ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अग्रदूत के रूप में दिनांक 30.10.2022 को विजिलेंस स्टडी सर्कल केरल चैप्टर द्वारा आयोजित वॉकथॉन-(भ्रष्टाचार के खिलाफ एक यात्रा) में भाग लिया। कयर बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने वॉकथॉन में भाग लिया।

पूरे भारत में बोर्ड के मुख्यालय, उप-कार्यालयों और शोरूमों में सुविधाजनक स्थानों पर "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय पर विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए बैनर प्रदर्शित किए गए।

कयर बोर्ड के कर्मचारियों ने सीवीसी पोर्टल के माध्यम से ई-अखंडता प्रतिज्ञा ली है और प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं।

दिनांक 01.11.2022 को कयर बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 'खरीद भ्रष्टाचार' पर एक वेबिनार भी आयोजित किया गया और सत्र का संचालन कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री के.राजेंद्रन ने किया था। कार्यक्रम में पूरे भारत से कयर बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

एक सोशल मीडिया पहल के रूप में, कयर बोर्ड ने "विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय पर आधारित एक लघु फिल्म बनाई और कयर बोर्ड के विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रचारित किया, जहां केंद्रीय सतर्कता आयोग के सोशल मीडिया हैंडल को टैग किया गया है।



वॉकथॉन - (भ्रष्टाचार के खिलाफ एक यात्रा) 30 अक्टूबर 2022 को कोच्चि, केरल में आयोजित किया गया।

कयर श्रमिकों और आम जनता के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में कयर बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी पहलुओं पर विशेष जोर देने वाली 'जागरूकता ग्राम सभा' का आयोजन किया गया था। कुछ स्थानों पर, बोर्ड ने लोगों को भ्रष्टाचार को खत्म करने, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अपनाए जाने वाले निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए पुलिस विभाग/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों की सेवाओं का भी लाभ उठाया।

निम्नलिखित स्थानों पर कयर बोर्ड की संस्थाओं द्वारा सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम/ जागरूकता ग्राम सभाएं आयोजित की गईं।

1. पुरी, ओडीशा
2. पालक्काड़, केरल
3. कोझिकोड, केरल
4. अन्नागुडी, तमिलनाडु
5. वेल्लूर, तमिलनाडु
6. तंजावुर, तमिलनाडु
7. मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल
8. पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल

कार्यक्रमों में कयर श्रमिकों, कयर सहकारी समितियों/स्फूर्ति समूहों के पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों ने अच्छी तरह से भाग लिया।



दिनांक 31.10.2022 को कयर बोर्ड, मुख्यालय, कोच्चि में कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा शपथ दिलाते हुए कयर बोर्ड के अध्यक्ष श्री डी. कुप्पुरामू



'खरीदी भ्रष्टाचार' पर वेबिनार 01.11.2022 को श्री के. राजेंद्रन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया गया।



कयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, पोलाची द्वारा अन्नागुड़ी कॉलोनी, अन्नागुड़ी पंचायत, वेल्लूर, तमिलनाडु में 04.11.2022 को सतर्कता जागरूकता ग्राम सभा आयोजित की गई।



कयर बोर्ड क्षेत्रीय विस्तार केंद्र, तंजावुर द्वारा 05.11.2022 को तंजावुर, तमिलनाडु में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ

76 वां स्वतंत्रता दिवस समारोह:

कयर बोर्ड और उसके प्रतिष्ठानों द्वारा दिनांक 15 अगस्त 2022 को देश का 76 वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया।

कयर बोर्ड के मुख्यालय और उप कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगी एलईडी लाइट प्रदर्शित की गई। बोर्ड के मुख्यालय और सभी प्रतिष्ठानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। बोर्ड के सभी कर्मचारियों ने 'हर घर तिरंगा' पहल में भागीदारी के रूप में अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है।



गणतंत्र दिवस समारोह:

कयर बोर्ड ने 26 जनवरी, 2023 को मुख्यालय और बोर्ड के सभी स्थानों पर 74वीं गणतंत्र दिवस मनाया। राष्ट्रीय ध्वज

को मुख्यालय, कोची, केरल में श्री वी सी रघुनंदनन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कयर बोर्ड द्वारा फहराया गया।



अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह:

कयर बोर्ड और बोर्ड के सभी उप कार्यालयों में 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दिनांक 21 जून, 2022 को उपयुक्त तरीके से मनाया गया। इसके बड़े सांस्कृतिक धरोहर को अपनाने और युवा ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में प्रभावी रूप से प्रवृत्त करने के उद्देश्य से एक कार्रवाई योजना तैयार की गई।

योग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, पतंजलि योग केंद्र, एरनाकुलम के मार्गदर्शन में मुख्यालय द्वारा दिनांक 21.06.2022 को सेंटर स्कायर मॉल में एक योग सत्र की व्यवस्था की गई।



सद्भावना दिवस:

बोर्ड ने 20 अगस्त 2022 को दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को "सद्भावना दिवस" के रूप में मनाया। उस दिन बोर्ड के मुख्यालय, उप-कार्यालयों और शोरूम के सभी कर्मचारियों द्वारा सद्भावना दिवस की शपथ ली गई।

राष्ट्रीय अखंडता दिवस:

भारत के लौह पुरुष, स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन समारोह के हिस्से के रूप में, 31 अक्टूबर 2022 को कयर बोर्ड के मुख्यालय, बोर्ड के उप-कार्यालयों और शोरूमों में "राष्ट्रीय अखंडता दिवस" मनाया गया। कर्मचारियों ने राष्ट्रीय अखंडता पर ऑनलाइन शपथ ली।

संविधान दिवस:

संविधान दिवस (राष्ट्रीय कानून दिवस), जिसे संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, बोर्ड द्वारा 26 नवंबर 2022 को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में, संविधान के महत्व और डॉ. बी.आर.अंबेडकर के विचारों को फैलाने के लिए मनाया गया। कयर बोर्ड मुख्यालय द्वारा आयोजित वर्चुअल मंच पर कर्मचारियों ने शपथ ली।

राजभाषा नीति 2022-23 का कार्यान्वयन

कयर बोर्ड, पूरे भारत में कयर उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अधिनियमित कानून, अर्थात् कयर उद्योग अधिनियम 1953 (1953 का 45) के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। कयर बोर्ड ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए हरसंभव प्रयास किये हैं।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए गठित नोडल विभाग है।

वर्ष 1963 के राजभाषा अधिनियम और 1976 के राजभाषा नियमों के प्रावधानों के आधार पर, बोर्ड वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंदी में दैनिक कार्यालयीन काम करने को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देने में सहायता प्रदान कर रहा है, जैसा कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किया गया है।

संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण

संसद की राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 4 जनवरी 2023 को कयर बोर्ड के मुख्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण बैठक ग्रैंड हयात, कोच्चि में आयोजित की गई थी।



राजभाषा गृह पत्रिका का विमोचन

माननीय संसदीय राजभाषा निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 04.01.2023 को ग्रैंड हयात, कोच्चि में हिंदी गृह पत्रिका "कयर स्वर्णिम रेशा" का विमोचन किया गया।



राजभाषा सम्मेलन में भागीदारी

कयर बोर्ड ने दिनांक 27 जनवरी, 2023 को तिरुवनंतपुरम, केरल में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह (दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र) में भाग लिया और



सम्मेलन हॉल में एक राजभाषा प्रदर्शनी कार्यक्रम भी आयोजित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा और केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान की गरिमामयी उपस्थिति में हुई।



वर्ष 2022-23 के दौरान कयर बोर्ड में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए उठाए गए कदमों एवं उपलब्धियों की जानकारी नीचे दी गई है:-

हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिया जाता है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत निर्धारित सभी दस्तावेज़ द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं। वार्षिक कार्यक्रम में पत्राचार हेतु निर्धारित प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मार्च 2023 के दौरान पत्राचार क्रमशः 'क' क्षेत्र में 75.78%, 'ख' क्षेत्र में 75.21% और 'ग' क्षेत्र में 75.80% था। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन करते हुए हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाता है। हर महीने की 14 तारीख हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

हिन्दी में कार्य करने पर नकद प्रोत्साहन योजना

हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन योजनाओं का प्रभावी प्रयोग लागू किया गया है। जो अधिकारी/कर्मचारी टिप्पण एवं प्रारूपण हिंदी में लिखते हैं, कम से कम 1000 शब्द के लिए, 200/- रुपये और अधिकतम 10000 शब्दों के लिए 2000/- रुपये दिया जाता है। कयर बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकों का आयोजन


कयर बोर्ड में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही क्रमशः 30.06.2022, 31.08.2022, 31.12.2022 और 28.03.2023 को आयोजित हुईं। इसके साथ ही उप कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का भी गठन किया गया है। इन बैठकों

में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की जाती है।

वर्चुअल हिंदी कार्यशाला

हिन्दी कार्यशालाएं प्रति तिमाही आयोजित की जाती हैं ताकि कयर बोर्ड के कर्मचारियों को उनके आधिकारिक काम को हिंदी में करने में मदद मिल सके। वर्ष 2022-23 के दौरान, कयर बोर्ड के मुख्यालय, उप मुख्यालय या

बिक्री केंद्रों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रत्येक तिमाही में कुल 4 कार्यशालाएं ई प्लेटफॉर्म पर आयोजित की गईं, जो कि 30.06.2022, 06.09.2022, 25.11.2022 और 12.01.2023 को थीं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम ने राजभाषा कार्यों को हिंदी में कंप्यूटर पर यूनिकोड की मदद से करने, हिंदी में टिप्पणी और मसौदा लेखन करने के नियम और कानूनों को मुख्य रूप से सूचित किया।



दिनांक 14 सितंबर 2022 से 13 अक्टूबर 2022 के दौरान हिंदी दिवस/हिंदी चेतना मास समारोह।

- कयर बोर्ड मुख्यालय और भारत भर में स्थित सभी उप-कार्यालयों और शोरूम और बिक्री केंद्रों में 14 सितंबर 2022 से 13 अक्टूबर 2022 तक हिंदी चेतना मास समारोह आयोजित किया गया था। कयर बोर्ड के दो कर्मचारियों ने सूरत, गुजरात में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वर्चुअल हिंदी चेतना मास समारोह के दौरान बोर्ड के मुख्यालयों, कार्यालयों, उप कार्यालयों, शोरूम एवं बिक्री केंद्रों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी में 15 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सुलेख प्रतियोगिता-3 भागों में (श्रुतलेख वर्ग 'सी' के लिए), हिंदी में अनुवाद, प्रशासनिक शब्दावली, कविता पाठ, निबंध लेखन, टिप्पण और प्रारूपण, अंताक्षरी, वार्तालाप, हिंदी गीत (महिलाओं और पुरुषों के लिए) समाचार वाचन, प्रश्नोत्तरी आदि।
- **आजादी का अमृत महोत्सव** विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

- प्रतियोगिताओं में सचिव स्तर तक के अधिकारियों सहित उच्च अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई।
- सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मूल कार्य जैसे नोट्स, ड्राफ्ट, पत्राचार एवं प्रपत्र आदि को हिन्दी में बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया।
- प्रथम तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार रूप में प्रत्येक को 1,000/-, 750/- और 500/- रुपये भेजे गए और साथ ही प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रत्येक को 200/- की राशि हस्तांतरित की गई।
- हिंदी चेतना मास समारोह के आयोजन पर कुल 61,770/- रुपये की राशि खर्च की गई।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए की गई गतिविधियाँ।

बोर्ड ने सरकार की आरक्षण नीति का अक्षरशः पालन करना जारी रखा। भारत में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए यह रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान पदोन्नति के भीतर पूरा किया गया था। संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार त्वरित निराकरण किया गया।



अध्याय - II

वित्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा

बोर्ड के राजस्व के स्रोत

बोर्ड के राजस्व के स्रोतों में निम्नलिखित सम्मिलित है:-

1. कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 14(क) के अंतर्गत अनुदान और धारा 14 के अंतर्गत निधियां ।
2. पंजीकरण/ पंजीकरण के नवीकरण के लिए शुल्क
3. विभागीय तथा फुटकर प्राप्तियाँ
4. अतिरिक्त बजट संसाधन

बजट तथा खर्च

वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड के विभिन्न योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान रु. 8,000.00 लाख था । संशोधित अनुमान योजना के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित 8,714.00 लाख रु. था ।

संस्वीकृत बजट का योजना-वार विवरण, अनुमोदित संशोधित आकलन, वास्तविक उपयोगिता, यानि रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान और पिछले वर्ष वास्तविक आँकड़े नीचे तालिका में दिए जाते हैं :

(रुपए- लाख में)

क्रम सं	योजना / घटक	संस्वीकृत बजट 2022-23	अनुमोदित संशोधित अनुमान 2022-23	मुक्त की गई एवं प्राप्त निधियाँ 2022-23	वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोगिता *	वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोगिता
1	कयर विकास योजना - सीवीवाई					
1.1.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	800.00	463.00	463.16	439.60	708.55
1.2	कुशलता उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, महिला कयर योजना	850.00	872.00	872.55	873.55	843.29
1.3	स्वदेशी बाज़ार संवर्धन (डीएमडी/एमडीए)	1270.00	2009.00	2008.79	1898.12	1742.36
1.4	निर्यात बाज़ार संवर्धन	250.00	580.00	580.00	590.54	39.03

1.5	व्यापार एवं उद्योग संबंधी और अन्य कार्यात्मक सहायक सुविधाएँ	205.00	215.00	214.50	337.19	341.77
1.6	कल्याणकारी अभ्युपाय	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	स्वच्छता कार्रवाई योजना	25.00	25.00	25.00	25.00	6.25
1.8	सीवीवाई – वेतन & स्थापना व्यय #	4550.00	4550.00	4550.00	4550.00	4300.00
	कुल- सीवीवाई	8000.00	8714.00	8714.00	8714.00	7981.25
2	कयर उद्यमी योजना – सीयूवाई	0.00	0.00	0.00	0.00	143.26
3	स्फूर्ति	0.00	0.00	0.00	796.40	2860.71
	कुल – योजना (क)	8000.00	8714.00	8714.00	9510.40	10985.22
4	ऋण (एचबीए/ वीए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल – गैर योजना (ख)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सर्वयोग (क) + (ख)	8000.00	8714.00	8714.00	9510.40	10985.22

* उपयोगिता प्रारंभिक शेष सहित है।

सीयूवाई योजना बंद होने के कारण भारत सरकार को ₹143.26 लाख की राशि वापस कर दी गई।

कयर विकास योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटन

(रुपए- लाख में)

क्रम सं	घटक का नाम	संस्वीकृत बजट 2022-23	अनुमोदित संशोधित अनुमान 2022-23	मुक्त की गई एवं प्राप्त निधियाँ 2022-23	वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोगिता #	वर्ष 2021-22 के दौरान पयोगिता
1	पूर्वोत्तर क्षेत्र	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	कुल – पूर्वोत्तर क्षेत्र	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

क्रम सं	योजना / घटक का नाम	संस्वीकृत बजट 2022-23	अनुमोदित संशोधित अनुमान 2022-23	मुक्त की गई एवं प्राप्त निधियाँ 2022-23	वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोगिता	वर्ष 2021-22 के दौरान उपयोगिता
1	अ.जा. उप योजना (एससीएसपी)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2	जनजातीय उप योजना (टीएसपी)	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

वर्ष 2022-23 के दौरान सीवीवाई - वेतन और सीवीवाई - स्थापना व्यय शीर्ष के अंतर्गत निधियों की उपयोगिता का ब्योरा:		
क्रम सं	खर्च का शीर्ष	राशि (लाख रु.)
1	वेतन और भत्ता*	4,080.00
2	टीए / डीए	76.70
3	भारत सरकार से ऋणों की चुकौती	10.90
4	कर्मचारियों को ऋण	-
5	अन्य व्यय (स्थापना)	393.30
	कुल	4,560.90

*वेतन और भत्ते, पेंशन और पेंशन लाभ के घटक शामिल हैं।

क्रम सं	प्राप्ति शीर्ष	राशि (लाख रु.)
1	कयर उद्योग अधिनियम 1953 की धारा 14(क) के अंतर्गत प्राप्त निधि (सहायता)	8,714.00
2	पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क	58.04
3	कयर भवनों में की जानेवाली बिक्रियों पर कमीशन और अन्य प्राप्तियाँ	215.47
4	अन्य प्राप्तियाँ (विभागीय)	419.75
5	भारत सरकार से ऋण (कर्मचारियों को एच बी ए/ वी ए)	-
6	अतिरिक्त बजटीय संसाधन #	-
	सर्वयोग कुल	9,407.26

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा बोर्ड की लेखाओं की लेखापरीक्षा

कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 के अनुसार भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा बोर्ड के लेखों की लेखापरीक्षा की जानी है। रिपोर्टधीन अवधि में केरल के

महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2021-22 की लेखों की लेखापरीक्षा की गई। लोक सभा और राज्य सभा के समक्ष क्रमशः दि.15.12.2022 और दि.19.12.2022 को लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं लेखाओं का विवरण प्रस्तुत किए गए।

